**महत्वपूर्ण**

संख्या–1354 / 9–आ–5–99.156 डी ए / 86

प्रेषक,

**अतुल कुमार गुप्ता,**
**सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**उपाध्यक्ष,**
**समस्त विकास प्राधिकरण,**
**उत्तर प्रदेश।**

आवास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 1999

**विषय :समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के अधिकारों का प्रतिनिधायन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित पत्रों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में त्वरित गति से निर्णय लेने तथा ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उ0 प्र0 नगर विकास अधिनियम, 1973 की धारा–51 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली, 1985 के नियम–39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को प्राधिकरण में कार्यरत उन अधिकारियों, जिनका वेतनमान रु. 8000.13500 तक है, के सम्बन्ध में निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों को प्रतिनिधानित करते हैं :–

(1) छुट्टी की स्वीकृति तथा छुट्टी के नगदीकरण की स्वीकृति।
(2) अग्रिमों–भवन क्रय / निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम तथा भविष्य निधि से स्थाई / अस्थायी अग्रिम, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण भत्ता, मकान किराया भत्ता।
(3) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने, जिसमें विलम्बन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।
(4) दक्षता रोक पार कराया जाना।
(5) प्रतिकूल प्रविष्टि का संसूचित किया जाना तथा उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन पर निर्णय।
(6) चरित्र–पंजियों, सेवा अभिलेख तथा ज्येष्ठता सूची का रखा जाना तथा अन्य आवश्यक अभिलेख एवं सूचना रखना।
(7) मानदेय की स्वीकृति।
(8) चिकित्सा सुविधा।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्यपाल महोदय विकास प्राधिकरणों में कार्यरत उन अधिकारियों, जिनका वेतनमान रु. 8000.13500 तथा उससे अधिक है, के सम्बन्ध में भी निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग उपाध्यक्ष को प्रतिनिधायित करने का आदेश देते हैं :–

(1) चार मास तक की अवधि का अवकाश।
(2) यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण भत्ता, मकान किराया भत्ता।
(3) अग्रिम भवन निर्माण / क्रय अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम, भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम।
(4) चिकित्सा सुविधा।

3. उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली, 1985 के सम्बन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे, किन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के जारी होने तक निर्णय न लिया गया हो, अथवा कार्यवाही प्रारम्भ न की गई हो, उनमें इस आदेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के ऐसे प्रकरण, जिनमें इस आदेश द्वारा शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन उपाध्यक्षों को किया जा रहा है और पूर्व में शासन को संदर्भित किये गये हैं, उन्हें सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया भविष्य में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–1354(1)/9–आ–5–99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त मण्डलायुक्त।
(2) आवास एवं नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,
वीरेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या–38 / 9–आ–2–2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एव विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 5 जनवरी, 2000

**विषय :चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–658 / स0को0 / दिनांक 27–7–99 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आवास विकास परिषद अप्रैल 01, 2000 से परिषद कार्मिकों के लिये मेडिकल बीमे की योजना लागू करें, जो किसी बीमा कम्पनी के सहयोग से लागू की जाय।

3. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1119 / नौ–आ–5–2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(3) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 9 मई, 2000

**विषय :विकास प्राधिकरणों / आवास विकास परिषद में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के क्रम में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा, अकेन्द्रीयत सेवा के तथा परिषद सेवा के विभिन्न कार्मिकों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही व सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाये रखने में आन्तरिक कार्यों में समन्वय एवं कार्यप्रणाली में सुधार के लिए यह भी आवश्यक है कि भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाए। इस सम्बन्ध में समय–समय पर पूर्व में शासन द्वारा समुचित निर्देश भी निर्गत किए गये हैं।

2. आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि किसी अधीनस्थ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है तो उसके प्रति वरिष्ठ अधिकारियों के रहते दृढ़ता / कठोरता के साथ उस प्रकरण को लिया जाना चाहिए। यदि उच्च स्तर पर प्रकरण में कार्यवाही करनें में शिथिलता या अपेक्षित ध्यान न दिये जाने की बात प्रकाश में आती है तो निश्चित ही वरिष्ठ अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए यह माने जाने के भी आधार बनते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त एवं उत्तरदायी है।

3. उपरोक्त स्थिति में यदि आपके संज्ञान में कोई शिकायत प्रकाश में आती है तो आप स्वयं कार्यवाही करने में सक्षम हैं तो अपने स्तर से कार्यवाही करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें। यदि प्रकरण केन्द्रीयत सेवा का है तो उसके सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या देते हुए अपेक्षित कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए यथा आरोप–पत्र, निलम्बन, आदि अपनी संस्तुति सहित,शासन को भेजें।

4. आपके कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करते समय यह भी देखा जायेगा कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितने कर्मचारियों का आरोप–पत्र / निलम्बन / प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही की गई या द्वारा शासन के आवास विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं। किसी कर्मचारी के विरुद्ध आर्थिक एवं अपराध संस्थान द्वारा तथा सतर्कता जाँच में आपके स्तर से कितना अपेक्षित सहयोग मिलता है।

5. उपर्युक्त के क्रम में विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा से सम्बन्धित कार्मिकों के विषय में भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों/मामलों में सजग रहते हुए आपके स्तर से नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की जाती है ताकि भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो सके और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के प्रयास व मनोबल को गिराया जा सके। कृपया इस सम्बन्ध में संलग्न प्रारुप ई–1 व ई–2 में क्रमशः विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के श्रेणी–1 तथा अन्य कार्मिकों के विरुद्ध जांच/अनुशासनिक कार्यवाही, आदि के सम्बन्ध में आपके द्वारा शासन को दिनांक 1–4–1999 से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2000 तक उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रस्तावों तथा प्रारुप ई–3 में विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मियों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाहियों, दर्ज करायी गई प्रथम सूचना आदि का विवरण तथा ई.3 में परिषद कर्मियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही का विवरण शासन को विलम्बतम 10 मई, 2000 तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तदोपरान्त यह सूचना प्रति माह मासिक बैठक में भेजी जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

**प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा श्रेणी – 1 के अधिकारी**

**अन्य –**

क्रमांक
कर्मचारियों की संख्या – जिनके निलम्बन की संस्तुति की गयी।
कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आरोप पत्र भेजे गये।
कर्मचारियों की संख्या – जिनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।
कर्मचारियों की संख्या जो
निरूद्ध किये गये।

| माह में | वर्ष में | माह में | वर्ष में | माह में | वर्ष में | माह में | वर्ष में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

**(1) अकेन्द्रीयत सेवा – ई – 3**

**क्रमांक–**
कर्मचारियों की संख्या – जिनके निलम्बन की संस्तुति की गयी।
कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आरोप पत्र भेजे गये।
कर्मचारियों की संख्या – जिनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।
कर्मचारियों की संख्या जो
निरूद्ध किये गये।

| माह में | वर्ष में | माह में | वर्ष में | माह में | वर्ष में | माह में | वर्ष में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

**प्रारुप ई – (1)**

**विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण**

**विकास प्राधिकरण का नाम .....**

**सूचना अवधि दिनांक 1ण्4ण्99 से 31 मार्च, 2000 तदुपरान्त प्रत्येक माह**

क्रम संख्या प्रकरण का संक्षिप्त उल्लेख एवं प्रथम दृष्टया दोषी पाये/ अर्न्तग्रस्त अधि0/ कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम।

(2) प्राधिकरण द्वारा दोषी पाये गये/अन्तर्ग्रस्त वि0 प्रा0 केन्द्रीयत सेवा के सम्बन्धित कार्मिकों के विषय में शासन को प्रेषित प्रस्ताव का संदर्भ एवं दिनांक।

(3) दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गिरफतारी की संख्या व विवरण।

(4) निलम्बन/अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव एवं संस्तुति का विवरण।

(5) यदि मामले कि जाँच किसी विशिष्ट एजेंसी से कराये जाने का प्रस्ताव है तो उसका विवरण (सतर्कता / इ0 ओ0 डब्लू आदि)।

(6) अभ्युक्ति

(7)

संख्या : 1120/9—आ—5.2000

प्रेषक,

**दीन दयाल,**
**संयुक्त सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**उपाध्यक्ष,**
**समस्त विकास प्राधिकरण,**
**उत्तर प्रदेश।**

आवास अनुभाग—5 लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2000

**विषय : उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों की स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर माह के प्रत्येक द्वितीय शुक्रवार हेतु विकास प्राधिकरणों की स्थापना के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें विकास प्राधिकरणों में लम्बित वाद, विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणा केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों का सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती रही है। इधर एक—दो माह से प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों में उक्त बैठक में कोई भाग नहीं ले रहा है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। माह मई के द्वितीय शुक्रवार को आयोजित बैठक में विकास प्राधिकरण, कानपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, बांदा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, बरेली, रायबरेली को छोड़कर अन्य विकास प्राधिकरणों से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहना है कि माह जून को निर्धारित शुक्रवार हेतु आयोजित बैठक में संलग्न सूची में अंकित बिन्दुओं पर विचार—विमर्श किया जायेगा। अतएव अपने अधीनस्थ स्थापना से सम्बन्धित अधिकारी को निदेशित करने का कष्ट करें कि प्रत्येक माह को आयोजित होने वाली बैठक में निर्धारित समय से उपस्थित हों तथा जिन विकास प्राधिकरण से वैयक्तिक सेवा विवरण अपूर्ण/अप्राप्त है, उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

**भवदीय,**
**दीन दयाल**
**संयुक्त सचिव।**

माह जून, 2000 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित बिन्दु जिन पर बैठक सम्पन्न की जायेगी :—

1. विभिन्न न्यायालयों में लम्बितवादों की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर।
2. उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित/प्रचलित अनुशासनिक जाँच की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायें।
3. विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के क्रम में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा/अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायें।
4. वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में।
5. उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों के वैयक्तिक सेवा विवरण जो अप्राप्त/अपूर्ण हैं उन पर चर्चा।

6– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत अवर अभियंता (सिविल) संवर्ग में नियमित रूप से नियुक्त अवर अभियंताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्तियां उपलब्ध कराने हेतु।

7. विकास प्राधिकरणों से विधि संवर्ग की अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

8– विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत स्टाफ की आवश्यकता/कार्यरत स्टाफ/अतिरिक्त आवश्यकता/सरप्लस स्आफ।

संख्या–1120(1)/9–आ–5–2000

प्रेषक,

**दीन दयाल,**
**संयुक्त सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**उपाध्यक्ष,**
**समस्त विकास प्राधिकरण,**
**उत्तर प्रदेश।**

आवास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 28 जून, 2000

**विषय : उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों की स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर माह के प्रत्येक द्वितीय शुक्रवार हेतु विकास प्राधिकरणों की स्थापना के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें विकास प्राधिकरणों में लम्बित वाद, विकास प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं उ0 प्र0 विकास प्राधिकरणों केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों का सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती रही है। इधर एक–दो माह से प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों में उक्त बैठक में कोई भाग नहीं ले रहा है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। माह मई के द्वितीय शुक्रवार को आयोजित बैठक में विकास प्राधिकरण कानपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, बांदा, फिरोजाबाद, मथुरा, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, फैजाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, रायबरेली को छोड़कर अन्य विकास प्राधिकरण से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

2. उक्त के संबंध में मुझे पुनः यह कहना है कि माह जुलाई, 2000 को निर्धारित शुक्रवार हेतु आयोजित बैठक में संलग्न सूची में अंकित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया जायेगा। अतएव अपने अधीनस्थ स्थापना से संबंधित अधिकारी को निदेशित करने का कष्ट करें कि प्रत्येक माह को आयोजित होने वाली बैठक में निर्धारित समय से उपस्थित हो तथा जिन विकास प्राधिकरण से वैयक्तिक सेवा विवरण अपूर्ण/अप्राप्त हैं उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

**भवदीय,**
**दीन दयाल**
**संयुक्त सचिव।**

माह जुलाई, 2000 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित बिन्दु जिन पर बैठक सम्पन्न की जायेगी :–

1. विभिन्न न्यायालयों में लम्बितवादों की प्रगति रिपोर्ट प्रारूप पर ।
2. उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित/प्रचलित अनुशासनिक जांच की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित रूप उपलब्ध करायें।
3. विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के क्रम में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा/अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायें।
4. उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा कार्मिकों के वैयक्तिक सेवा–विवरण जो अप्राप्त/अपूर्ण हैं उन पर चर्चा।
5. उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में नियमित रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्तियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. विकास प्राधिकरण से विधि संवर्ग की अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

7. विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत स्टाफ की आवश्यकता/कार्यरत स्टाफ/उपलब्धता/अधिकता/रिक्तता।
8. सर्तकता का प्रचलित जांच का विवरण।
9. विकास प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकन की स्थिति वर्तमान में पद रिक्त हैं, तो उनकी सूचना।
10. राजस्व संवर्ग से सम्बन्धित सूचना।

**गोपनीय / प्राथमिकता**

संख्या–1424 / 9–आ–5–2000

प्रेषक,

**अतुल कुमार गुप्ता,**
**सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**(1) उपाध्यक्ष,**
**समस्त विकास प्राधिकरण,**
**उत्तर प्रदेश।**

**(2) अध्यक्ष**
**समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,**
**उत्तर प्रदेश।**

आवास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2000

**विषय :प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में शासकीय प्रतिबन्ध के बावजूद भी दैनिक वेतन / वर्कचार्ज एवं संविदा पर की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में सुधार व एकरूपता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–1726 / 37–2–1983, दिनांक 9 मार्च, 1983 द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये थे कि किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना न तो कोई पद सृजित किया जायेगा और न तो प्राधिकरण में दैनिक वेतन / वर्कचार्ज के आधार पर कर्मचारी भर्ती किये जायं आदि। फिर भी विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त शासकीय आदेशों को अनदेखा करते हुये पद सृजन एवं विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती रही। शासन स्तर पर उपलब्ध सूचना अनुसार दैनिक वेतन / वर्कचार्ज एवं संविदा पर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 29–6–91 तक की गयी उक्त नियुक्तियों की संख्या लगभग 3000 है। उक्त नियुक्तियों के परिणामस्वरूप जहां एक ओर कर्मियों के विनियमितीकरण की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है, वहीं दूसरी ओर उनके वेतन आदि के भुगतान से प्राधिकरणों पर वित्तीय भार बढ़ा रहा है। शासनादेश संख्या–4417 / नौ–आ–5–1996, दिनांक 8 नवम्बर, 1996 द्वारा दैनिक वेतन / वर्कचार्ज / संविदा पर आधारित कर्मियों की नियुक्ति से होने वाली दूरगामी दुष्परिणामों से अवगत कराते हुये इस प्रकार की अनियमित नियुक्तियों पर पुनः प्रतिबन्ध लगाया गया है और ऐसी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के नाम शासन को भेजने के निर्देश दिये गये हैं। विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त अधिकारियों का नाम शासन में नहीं भेजा गया।

2. अतः कृपया सभी विकास प्राधिकरणों के सचिव तथा लेखा विभाग के प्रमुख इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायें कि उनके यहाँ दिनांक 29–6–1991 के उपरांत कोई दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मी नहीं है अथवा दिनांक 29–6–1991 के पश्चात् दैनिक वेतन / वर्कचार्ज / संविदा के नियुक्ति कर्मचारियों का नाम उनकी नियुक्ति तिथि एवं नियुक्त करने वाले अधिकारी के नाम के सम्बन्ध में विवरण शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 25–7–2000 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रमाण–पत्र / विवरण निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरणों के सचिव एवं लेखा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी का वेतन आहरण रोक दिया जाय।

**भवदीय,**
**अतुल कुमार गुप्ता**
**सचिव।**

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास अनुभाग – 1
संख्या – 3484/9–आ–1–2000.70 विविध/96
लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2000

## कार्यालय ज्ञाप

पूर्ण में पारित एतदविषयक समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारी के रूप में निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। नोडल अधिकारी इन विकास प्राधिकरणों की बैठक में भाग लेंगे तथा वहां की समस्याओं का शासन स्तर पर अनुश्रवण करेंगे :–

| क्रम संख्या | विकास प्राधिकरण का नाम | प्रस्तावित अधिकारी का नाम | क्रम संख्या | विकास प्राधिकरण का नाम | प्रस्तावित अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गाजियाबाद | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 2. | कानपुर | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 3. | लखनऊ | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 4. | आगरा | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 5. | इलाहाबाद | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 6. | मेरठ | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 7. | मुरादाबाद | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 8. | अलीगढ़ | श्री दीन दयाल | | | |
| 9. | बरेली | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 10. | देहरादून | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 11. | गोरखपुर | श्री दीन दयाल | | | |
| 12. | हरिद्वार | श्री एन0 आर0 वर्मा | | | |
| 13. | मथुरा–वृन्दावन | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 14. | वाराणसी | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 15. | बांदा | श्री दीन दयाल | | | |
| 16. | बुलन्दशहर | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 17. | फैजाबाद | श्री दीन दयाल | | | |
| 18. | फिरोजाबाद | श्री जावेद एहेतिशाम | | | |
| 19. | हापुड़–पिलखुवा | श्री जावेद एहेतिशाम | | | |
| 20. | झांसी | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 21. | मुजफ्फरनगर | श्री दीन दयाल | | | |
| 22. | रायबरेली | श्री जावेद एहतिशाम | | | |
| 23. | सहारनपुर | श्री एन0 आर0 वर्मा | | | |
| 24. | उन्नाव | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 25. | मिर्जापुर | श्री जावेद एहेतिशाम | | | |
| 26. | चित्रकूट | श्री दीन दयाल | | | |
| 27. | कपिलवस्तु | श्री दीन दयाल | | | |
| 28. | शक्तिनगर | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान | | | |
| 29. | नैनीताल | श्री संजय भूसरेड्डी | | | |
| 30. | गंगोत्री | श्री एन0 आर0 वर्मा | | | |
| 31. | दून वैली | श्री एन0 आर0 वर्मा | | | |

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–3484 (1)/9–आ–1–2000ए तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव आवास।
2. आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या : 1882 / 9–आ–2–2000

प्रेषक,

श्री अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1. आवास आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
   उ0 प्र0, बंदरियाबाग,लखनऊ।

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2000

**विषय : अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षुओं को समायोजित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–141एम0 / 9–आ–2–1998, दिनांक 18–12–1998 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि विषयगत प्रकरण में कार्मिक अनुभाग–3 के द्वारा निहित शासनादेश संख्या–466 / आ–3–2000–13 / 90 / 98, दिनांक 24–3–2000 (प्रति संलग्न) के द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या : 1882(1) / 9–आ–2–2000 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास अनुभाग–3 / 5
2. निजी सचिव, सचिव, आवास।
3. विशेष सचिव, (च0) / संयुक्त सचिव।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या–466 / आ–3–2000–13 / 90 / 98

प्रेषक,

**योगेन्द्र नारायण,**
**मुख्य सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उ0 प्र0 शासन,**
**समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।**
**सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।**
**प्रशासक, उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (विघटित), लखनऊ।**

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2000

**विषय : अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने पर रियायतें।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल अपील संख्या–4347–54 / 1990 उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उ0 प्र0 परिवहन निगम प्रशिक्षु बेरोजगार संघ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–1–95 में कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये थे। उक्त निर्णय के अनुपालन में कार्मिक विभाग से शासनादेश संख्या–बी–1070 / का–1–1996, दिनांक 12–9–96 इस आशय से निर्गत किया गया था कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कड़ाई से किया जाय तथा यदि इस हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में संशोधन की आवश्यकता हो तो तद्नुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित किया जाय। कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12–9–96 के क्रम में शासन के कतिपय विभागों द्वारा भी अपने स्तर से आदेश जारी किये गये थे।

2. आप अवगत हैं कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 12–1–95 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 12–9–96 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही थी कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या–24009 / 98 अरूण कुमार सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27–7–98 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 12–9–96 तथा श्रम अनुभाग–6 उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2818 / 36–6–97–131(बी) / 97, दिनांक 03–1–98 का क्रियान्वयन, रिट याचिका संख्या–24009 / 98 अरूण कुमार सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय तक स्थगित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त सन्दर्भित अन्तरिम आदेश दिनांक 27–7–98 के अनुपालन में कार्मिक विभाग का शासनादेश संख्या–3281 / का–3–98–13 / 90 / 98, दिनांक 10–8–98 निर्गत किया गया।

3. मा0 उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अब रिट याचिका संख्या–24009 / 98 अरूण कुमार सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य ख्1999 ;2द्ध ई0एस0सी0 1394, में दिनांक 27–5–99 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है जिसके अनुसार :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रशिक्षु बेरोजगार संघ जे0 टी0, 1995(2) एस0सी0–26 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रस्तर–12 में दिये गये निदेश सिर्फ उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के लिये ही नहीं है बल्कि वे सभी विभागों एवं निगमों पर लागू होते हैं किन्तु निर्णय के प्रस्तर–13 में दिया गया निदेश सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनके मामले मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे।

(ख) अप्रेन्टिस प्रशिक्षुगण को भी सम्बन्धित सेवायोजक के नियमों के उपबन्धों के अनुसार भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा या टेस्ट में सम्मिलित होना अपेक्षित है एवं सेलेक्शन टेस्ट के उपरान्त जब उनमें से कोई प्रशिक्षु–अभ्यर्थी किसी गैर–अप्रेन्टिस अभ्यर्थियों के समान पाया जाय सिर्फ तभी उस अप्रेन्टिस प्रशिक्षु अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(ग) पूर्वोक्त शासनादेश दिनांकित 12–9–96 जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रस्तर–12 में अन्तर्विष्ट निदेशों का पालन करने का निदेश दिया गया है। वह किसी भ्रान्ति (मिसकन्सेप्सन) पर नहीं है किन्तु उसे इस निर्णय में किये गये सम्प्रेक्षण के आलोक में पढ़ा जायेगा।

4. मा0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–5–99 में मा0 उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रशिक्षु बेरोजगार संघ, जे0 टी0 1995(2) एस0 सी0–26 में पारित निर्णय दिनांक 12–1–95 के प्रस्तर–12 एवं 13 का उल्लेख किया है, जो निम्नवत् है :–

12. In the background of what has been noted above, we state that the following would be kept in mind while dealing with the claim of trainees to get employment after successful of their training :-

(1) Other things being equal, a trained apprentice should be given preference over direct recruits,.

(2) For this, a trainee would not be required to get his name sponsored by any Employment Exchange. The decision of this court in Union of India Vs Hargopal, AIR 1987 Sl. 1227, would permit this.

(3) If age bar, would come in the way of the trainee, the same would be relaxed in accordance with what is stated in this regard, if any, in the concerned service rule. If the service rule be silent on this aspect, relaxation to the extent of the period for which the apprentice has undergone training would be given.

(4) The concerned training institute would maintain a list of the persons trained year wise. The persons trained earlier would be treated as senior to the persons trained later. In between the trained apprentices, preference shall be given to those who are senior.

13. In so far as the cases at hand are concerned, we find that the Corporation filed an additional affidavit in C.A. Nos. 4347-4854 of 1990 as desired by the Court on 20 th October, 1992 giviing position regarding vacancies, in the posts of conductors and clerks. If such post be still vacant, we direct the Corporation to act in accordance with what has been stated above regarding the entitlement of the trainees. We make it clear that while considering the cases of the trainee for giving employment in suitable posts, what has been laid down in the Service Regulations of the Corporation shall be followed, except that the trainees would not be required to appear in any written examination, if any provided by the regulations. It is apparent that before considering the cases of the trainees, the requirement of their names being sponsored by the Employment Exchange would not be insisted upon. In so far as the age requirement is concerned, the same shall be relaxed as indicated above.

5. अतः मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :–

(1) शासनादेश संख्या–3281/98–का–3–13/90/98, दिनांक 10–8–98 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(2) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 27–5–1999 में किये गये सम्प्रेक्षण के आलोक में शासनादेश संख्या–बी–1070/का–1–1996, दिनांक 12–9–96 द्वारा निर्गत निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाय।

**भवदीय,**
**योगेन्द्र नारायण,**
**मुख्य सचिव।**

संख्या–493 / 9–आ–5–2000–70ई / 98

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2000

**विषय : पर्वतीय उपसंवर्ग के अन्तर्गत विकल्प का दिया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–1415 / 9–आ–5–98–70ई / 98, दिनांक 02 मई, 1998 के द्वारा आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह ''क''–''ख''–''ग''–''घ'' के पदों का पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की शासकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 02 मई, 1998 की छाया प्रति संलग्न है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार गठित पर्वतीय उपसंवर्ग के अधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्य करने के इच्छुक अपने–अपने विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मियों के विकल्प प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पर्वतीय उपसंवर्ग बन जाने के पश्चात् सभी ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो पर्वतीय उपसंवर्ग में कार्य करने हेतु विकल्प देगें, मैदानी क्षेत्र में कार्य नहीं करेगें बल्कि वे अपनी उपस्थिति पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये इच्छुक कर्मियों के विकल्प शासन को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मामले में प्राथमिकता पर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–5
संख्या–3509/9–आ–5–2000–70ई/98
लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2000

## अधिसूचना

आवास अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–1415/9–आ–5–98–70ई/98, दिनांक 02 मई, 1998 द्वारा उ0 प्र0 पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1997 के अधीन आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. अब चूँकि नवगठित उत्तरांचल क्षेत्र में जनपद हरिद्वार भी सम्मिलित है, अतएव श्री राज्यपाल महोदय संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित आवास विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग में गठित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. आवास अनुभाग–5 द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–1415/9–आ–5–98–70ई/98, दिनांक 02 मई, 1998 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्याः–3509(1)/9–आ–5–2000–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ तथा एक सौ प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

संख्या–3509(2)/9–आ–5–2000–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मंसूरी–देहरादून/हरिद्वार।
2. अध्यक्ष/सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनवैली/गंगोत्री/नैनीताल।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तरांचल विकास अनुभाग–4
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. आवास अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–3509/9–आ–5–2000–70ई/98 दिनांक 05 सितम्बर, 2000 का संलग्नक

प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम

परिशिष्ट

| क्रमांक | पदनाम | कुल पदों की संख्या | मंसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण | हरिद्वार विकास प्राधिकरण | दूनवैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | उपाध्यक्ष / अध्यक्ष | 05 | 1 | 1 | 1′ | 1′ | 1′ |
| 2. | सचिव | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | **केन्द्रीयत सेवा** | | | | | | |
| | **अभियन्त्रण संवर्ग** | | | | | | |
| 3. | अधिशासी अभियन्ता | 03 | 01 | 01 | – | 01 | – |
| 4– | सहायक अभियन्ता | 08 | 04 | 02 | – | 02 | – |
| 5. | अवर अभियन्ता | 32 | 16 | 06 | 02 | 06 | 02 |
| | **नियोजन संवर्ग** | | | | | | |
| 6. | नगर नियोजक | 02 | 01 | 01 | – | – | – |
| 7. | सहायक नगर नियोजक | 03 | 01 | 01 | – | 01 | – |
| 8. | वास्तुविद सहायक | 01 | – | 01 | – | – | – |
| | **प्रशासनिक संवर्ग** | | | | | | |
| 9. | संयुक्त सचिव | 01 | 01 | – | – | – | – |
| 10– | मुख्य लेखाधिकारी | 02 | 01 | – | – | – | – |
| 11. | लेखाकार | 03 | 01 | 01 | – | 01 | – |
| 12. | कार्यालय अधीक्षक | 03 | 01 | 01 | – | 01 | – |

| क्रमांक | पदनाम | कुल पदों की संख्या | मंसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण | हरिद्वार विकास प्राधिकरण | दूनवैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **अकेन्द्रीयित पद** | | | | | | |
| 13. | लेखपाल | 03 | 03 | | | | |
| 14. | ड्राफ्ट मैन | 06 | 03 | 02 | – | 01 | – |
| 15. | सर्वेयर | 05 | 03 | 01 | – | 01 | – |
| 16. | ट्रेसर | 04 | 03 | 01 | – | – | – |
| 17. | उद्यान निरीक्षक | 02 | 01 | 01 | – | – | – |
| 18. | विधि निरीक्षक/सहायक निरीक्षक | 02 | 01 | 01 | – | – | – |
| 19– | रोकड़िया | 03 | 02 | 01 | – | – | – |
| 20. | लेखा लिपिक | 05 | 02 | – | 01 | 01 | 01 |
| 21. | प्रधान/मुख्य लिपिक | 02 | 01 | 01 | – | – | – |
| 22. | वरिष्ठ लिपिक | 03 | 01 | 01 | . | 01 | – |
| 23. | कनिष्ठ लिपिक/टंकक | 16 | 09 | 04 | 01 | 01 | 01 |
| 24. | कम्प्यूटर डाटा आपरेटर | 01 | – | 01 | – | – | – |
| | **समूह 'घ'** | | | | | | |
| 25. | चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद | 40 | 17 | 12 | 01 | 09 | 01 |
| | योग : | 159 | 75 | 42 | 7 | 26 | 7 |

• विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष का पद है, उपाध्यक्ष का नहीं।